

(C)

**Government of Chhattisgarh  
Law & Legislative Affairs Department  
D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur**

**NOTIFICATION**

Raipur, date **28 JUN 2008**

F.No. <sup>6115</sup> /XXI/B/C.G./08. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, makes the following further amendment in department Notification No.6912/D-2339/XXI-B/C.G./07 dated 8.8.07, namely:-

**Amendment**

In the said notification,-

For the entries in column No.(4) against column No.(3)(b) of serial No.(5), the following shall be substituted, namely:-

"(b) Territorial jurisdiction of Civil Court, Khairagarh and  
Chhuikhadan"

**अधिसूचना**

फा.क. <sup>6115</sup> /21-ब/छ.ग./08- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (कमांक 66 सन् 1984 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना कमांक 6912/डी-2339/21-ब/छ.ग./07 दिनांक 8/8/2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-


**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, -

सरल कमांक (5) के कॉलम नम्बर क. (3) (ख) के सामने कालम कमांक 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(ख) सिविल न्यायालय खैरागढ़ और छुईखदान की क्षेत्रीय अधिकारिता”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

  
O/C (आर.एस. शर्मा)  
सचिव विधि

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// 2 //

पृ० कं० 6116 / /21-ब/छ.ग./08


रायपुर, दिनांक

/06/2008  
28 JUN 2008

प्रतिलिपि:-

- 1 रजिस्ट्रार जनरल, छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर, उनके ज्ञापन क. 4868/तीन-8-2/2001 दिनांक 23.06.08 के संदर्भ में,
- 2 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजनांदगांव (छ०ग०)
- 3 माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर माननीय विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
- 4 विधि सचिव के निज सहायक को विधि सचिव के अवलोकनार्थ,
- 5 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव छ०ग० की ओर भेजकर राजपत्र (असाधारण) के अंक दिनांक 28.06.2008 में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें ।

की आरे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।

  
अ/स (अशोक कुमार पौददार)  
अतिरिक्त सचिव  
छ.ग.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग